न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बरेली
परिवाद संख्या–44/2020
CNRNo.UPBR- 010700-2020

वी0पी0 सिंह बनाम रोहन ठाकुर

थाना–बारादरी, जिला बरेली

07.05.2022

पुकारा गया।

पुकार पर परिवादी अपने विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी को तलब किये जाने के बिन्दु पर सुना गया।

परिवाद के तथ्य यह है कि आवेदक/परिवादी वी0पी0 सिंह ने विपक्षी रोहन ठाकुर एवं 8–10 लडके अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु दिनांक 23.11.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथन किया कि परिवादी अनुसूचित जाति से जाटव जाति का है। परिवादी का पुत्र आनन्द प्रकाश इस वर्ष सिलवर लॉ कालेज से बी0ए0 एल0एल0बी0 कर रहा है। दिनांक 02.11.2020 को आनन्द अपने कपड़े खरीदने जा रहा था, स्कूटी करन बाल्मीकि चला रहा था और आनन्द पीछे बैठा था तो मो0 सैनिक कालोनी के पास विपक्षी रोहन ठाकुर ने स्कूटी रोक ली और आनन्द प्रकाश से 100/–रूपये रंगदारी में मांगने लगा तो आनन्द प्रकाश ने कह दिया कि तुम दो बार पहले भी सौ–सौ रूपये ले चुके हो वह आज तक वापस नहीं किये है तथा पैसे देने को मना कर दियाा तो रोहन ठाकुर ने परिवादी के पुत्र का गला पकड़कर स्कूटी से खींच लिया और जबरदस्ती जेब में से 1000/–रूपये निकाल लिए तथा विरोध करने पर आनन्द प्रकाश को लात घूँसों से मारा पीटा अज्ञात लड़कों ने रोहन ठाकुर का सहयोग किया। करन बाल्मीकि ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी मारा पीटा तथा कहा कि भंगी चमारों के दिमाग खराब हो गये है हमें उनकी औकात बताना है, भले दिन चाहो तो यहॉ से चले जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। आवेदक के पुत्र आनन्द ने परिवादी को सूचना दी तो परिवादी कचहरी से घर पहुॅचा और फिर थाना बारादरी गया और थानाध्यक्ष से मिलकर रिपोर्ट दर्ज करने की विनती की, लेकिन थानाध्यक्ष श्री शितान्शु शर्मा ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई तथा परिवादी से दूसरे दिन आने को कह दिया तो परिवादी दूसरे दिन थाने गया तो थानाध्यक्ष ने दो दिन बाद थाने बुलाया तो परिवादी दो दिन बाद थाने गया तो थानाध्यक्ष ने परिवादी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि हमारे पास एक तुम्हारा ही काम नहीं है हजारों काम है जब फुरसत मिलेगी तो कार्यवाही की जायेगी, फोन करके पूंछ लेना। परिवादी ने कई बार थानाध्यक्ष को फोन किया, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं मिला तो परेशान होकर परिवादी ने दिनांक 10.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को रजिस्टर्ड डाक से भी प्रार्थना पत्र भेजा है और स्वयं पेश होकर भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन फिर

भी आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है। विपक्षी रोहन ठाकुर कहीं बाहर का रहने वाला है बरेली में उसकी रिश्तेदारियां है जिनके यहॉ ठहरता रहता है और रहने की जगह बदलता रहता है, उसके रहने का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसका आपराधिक इतिहास है, जब रोहन ठाकुर को थाने में दी गयी तहरीर का पता चला तो परिवादी के पुत्र आनन्द को जान से मारने की धमकी दी है।

आवेदक/परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.12.2020 के द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

परिवाद के समर्थन में धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को परीक्षित कराया है तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जांच के अधीन परिवादी साक्षी सं0–1 के रूप आनन्द प्रकाश तथा परिवादी साक्षी सं0–2 के रूप में करन को परीक्षित कराया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में जाति प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गयी है।

पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय बरेली की जांच रिपोर्ट दिनांकित 13.04.2022 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि विपक्षी रोहन ठाकुर पुत्र पुष्पेन्द्र सिंह निवासी संजय नगर थाना बारादरी जिला बरेली के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु उनके प्रभारी निरीक्षक बारादरी के पद पर नियुक्त रहते हुए मु0अ0सं0–285/2021 अन्तर्गत धारा 307/386 भा0दं0सं0 वादी प्रशान्त रघुवंशी पुत्र सतेन्द्र सिंह रघुवंशी निवासी शिवनगर महिनाथ बरेली द्वारा पंजीकृत कराया गया था तथा रोहन सिंह ठाकुर को वर्ष 2019 के मु0अ0सं0–652/2019 अन्तर्गत धारा 307/506 भा0दं0सं0 में गिरफतार कर जेल भेजा गया था। जांच के दौरान की गयी जानकारी तथा बयानों के अवलोकन से पाया कि दिनांक 02.11.2020 को आवेदक वी0पी0 सिंह का पुत्र आनन्द प्रकाश कपडे खरीदने बाजार जा रहा था, आवेदक वी0पी0 सिंह का कहना है कि रास्ते में जाते समय संजय नगर के पास विपक्षी रोहन ठाकुर ने आवेदक के पुत्र आनन्द प्रकाश को रोककर उसकी जेब में से 1000/–रूपये निकाल लिया। इस सम्बंध में आवेदक के पुत्र आनन्द प्रकाश से भी जानकारी की गयी तो आनन्द प्रकाश ने भी बताया कि रोहन ठाकुर ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिये थे, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बारादरी श्री शितांशु शर्मा से भी जानकारी की गयी तो बताया गया कि आवेदक वी0पी0 सिंह के द्वारा उक्त घटना के सम्बंध में उनके सम्मुख नहीं आया था, जांच के दौरान आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त प्रकरण के सम्बंध में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बरेली में धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत वाद योजित किया था जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए धारा 202(1) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवाद में दर्ज कर गवाहों के बयान अंकित किये जा चुके है। वी0पी0 सिंह द्वारा यह भी बताया गया कि उसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में परिवाद के कथनों का समर्थन किया है तथा उसके साक्षीगण आनन्द प्रकाश एवं करन ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में परिवादी के कथनों का समर्थन किया है। अतः

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व धारा 202 दं0प्र0सं0 व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षी रोहन ठाकुर के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 392,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनता प्रतीत होता है। अतः विपक्षी रोहन ठाकुर उपरोक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **रोहन ठाकुर** को धारा **392,323,504,506** भा0दं0सं0 व **3(2)(V)** एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर 7 दिन करे तथा सूची गवाहान प्रस्तुत करे। बाद प्रस्तुत होने सूची गवाहान अभियुक्त के विरूद्ध समन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त नियत दिनांक **22.06.2022** को पेश हो।

(सत्यदेव गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
बरेली
जे0ओ0कोड यू0पी0–6018